न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा
(पीठा सीन अधिकारी लोक अदालत)
केम्प कोर्ट–भोजरास

–::आदेश::–

प्रार्थीया के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना–पत्र एवं पटवारी आपलियास व भू–अभिलेख निरीक्षक– रुपाहेली की रिपोर्ट तथा तहसीलदार हुरड़ा की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम– बलवन्तपुरा तहसील हुरड़ा जिला भीलवाडा की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 में खाता संख्या 84 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रुप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :–

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	बलवन्तपुरा	84	मुराद खॉ राजू खॉ पिता अब्दुल रहुफ जेबन बानू बेवा रहुफ	मुराद खॉ राजू खॉ पिता अब्दुल रहुफ जेबन बानू बेवा रहुफ जाति मुसलमान किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे।

(नन्दकिशोर राजोरा)
पीठासीन अधिकारी,
लोक अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर गुलाबपुरा

कमांक :–रेवेकोर्ट/99/2018 दिनांक 07.05.2018

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार हुरड़ा।
2. पटवारी आपलियास को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार इन्द्राज दुरूस्त करें।
3. प्रार्थी/ जेबन बानू बेवा रहुफ मुसलमान को सूचनार्थ।
4. रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर गुलाबपुरा
जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner